**(वाद सं0.- 2928/4/4/2020)**

*23.06.2022*

जिला पदाधिकारी, बेगूसराय की ओर से स्थापना उप समाहर्त्ता, बेगूसराय, संदीप कुमार एवं परिवादी, कामिनी देवी, की ओर से उसके पति, धर्मदेव पंडित, उपस्थित है।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी के पति, घमदेव पंडित, सेवानिवृत्त, उच्च वर्गीय लिपिक, बेगूसराय, समाहरणालय के विरूद्ध वर्ष, 2004 से लंबित विभागीय कार्यवाही से मुक्त करने एवं लंबित प्रोन्नति तथा वित्तीय लाभ दिये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, बेगूसराय व अंचल अधिकारी, बेगूसराय** के प्रतिवेदनानुसार परिवादी के पति, धर्मदेव पंडित, को सेवानिवृत्ति के उपरान्त अनुमान्य सभी सेवान्त लाभो का भुगतान किया जा चुका है जिनमें निलंबन अवधि का वेतन भुगतान, प्रथम ए0सी0पी0, द्वितीय एम0ए0सी0पी0 का लाभ देते हुए अन्तर राशि का भुगतान व वित्तीय उन्नयन का लाभ को समाहित कर पेंशन पुनर्निर्धारण हेतु प्रस्ताव महालेखाकार बिहार, पटना को भेजा जा चुका है तथा अब परिवादी के पति का कोई बकाया लंबित नहीं है।

उपरोक्त पर परिवादी का कथन है कि उसके पति के विरूद्ध दो–दो बार नियम विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जो उनके मानवाधिकार का अतिक्रमण है।

अब जबकि परिवादी के पति, धर्मदेव पंडित, को सेवानिवृत्ति के उपरान्त वित्तीय उन्नयन का लाभ देते हुए सभी अनुमान्य सेवान्त व सेवारत लाभ का भुगतान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर पर उक्त मामले में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

**जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (अनुलग्नकों सहित) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

निबंधक